

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227483
SG-DL-E-10062021-227483

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]	दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 49
No. 162]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943	[N. C. T. D. No. 49

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 9 जून, 2021

सं. 43 (61)/अल्प०/म० आ०/2020/366.—दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1999 (दिल्ली अधिनियम 2000 की संख्या 1) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग नियम-2000 में संशोधन करने के लिए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) नियम-2021 कहा जाएगा।
(2) यह नियम दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
- अध्याय-2 में नियम 3 का संशोधन:- दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2000 में; नियम-3 में, उप-नियम (1) व (2), निम्नलिखित उप-नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) आयोग के अध्यक्ष को 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) प्रति माह की एक निश्चित समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा, यदि वह पूर्णकालिक सेवा प्रदान करता है। अध्यक्ष मौजूदा नियमों के अनुसार कार और घर या मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे।

(2) आयोग के प्रत्येक सदस्य को 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) प्रति माह की एक निश्चित समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा, यदि वह पूर्णकालिक सेवा प्रदान करता है।”

माननीय उपराज्यपाल,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के आदेश
तथा उनके नाम द्वारा,
संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (राजस्व)-सह-मण्डलायुक्त

DEPARTMENT OF REVENUE

NOTIFICATION

Delhi, the 9th June, 2021

F. 43(61)/Min./Div.Comm./2020/366.—In exercise of powers conferred by Section 16 of the Delhi Minorities Commission Act-1999, (Delhi Act No.1 of 2000), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to amend the Delhi Minorities Commission Rules-2000, namely:-

1. **Short Title and Commencement:-** (1) The rules may be called the Delhi Minorities Commission (Amendment) Rules-2021.
(2) They shall come into force on the date of their notification in the Delhi Gazette.
2. **Amendment of Rule 3 in Chapter-II:-** In the Delhi Minorities Commission (Salary and other conditions of service of the Chairperson and Members of the Commission) Rules-2000; in rule-3, the sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall substituted, namely:-
“(1) There shall be paid to the Chairperson of the Commission, a fixed consolidated amount of Rs.2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only) per mensem if he/she renders full time service. The Chairperson will also be entitled to a car and house or HRA as applicable as per the extant rules.
(2) There shall be paid to each Member of the Commission a fixed consolidated amount of Rs. 100,000/- (Rupees One Lakh only) per mensem if he/she renders full time service.”

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi.
SANJEEV KHIRWAR, Pr. Secretary(Revenue)-cum-Divisional Commissioner